

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये
विलम्ब का कारण।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन/राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 14 जनवरी, 2020

पौष 24, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 78/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(86)-2020

लखनऊ, 14 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प0आ0-26

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 146 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, पूर्वोक्त नियमावली के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों के अनुसार बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती हैं, अर्थात् :-

- (i) www.einvoice1.gst.gov.in;
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
- (vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
- (viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
- (ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
- (x) www.einvoice10.gst.gov.in.

स्पष्टीकरण:— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से माल और सेवा कर नेटवर्क, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 8 के उपबन्धों के अधीन निगमित है, द्वारा व्यवस्थित वेबसाइट अभिप्रेत हैं।

2—यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.78/XI-2-9(42)-17-U.P.Act-1-2017-Order(86)-2020, dated January 14, 2020:

No.78/XI-2-9(42)-17-U.P.Act-1-2017-Order(86)-2020
Dated Lucknow, January 14, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 146 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) read with sub-rule (4) of rule 48 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby, notifies the following as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for the purpose of preparation of the invoice in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the aforesaid rules, namely:-

- (i) www.einvoice1.gst.gov.in;
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
- (vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
- (viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
- (ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
- (x) www.einvoice10.gst.gov.in.

Explanation :—For the purposes of this notification, the above mentioned websites mean the websites managed by the goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 607 राजपत्र-2020-(1449)-599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 68 सा० संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन-2020-(1450)-3500 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।